

10/11  
संज्ञा 24

1. चुनाव / अन्तः कर्षण  
अनुशासन पत्रावली दिनांक 1/11/2024

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष हाजिर नहीं आये  
हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन  
किये जाने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण अनावश्यक  
रूप से वर्षों से लम्बित है। अतः प्रकरण चलने  
योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण अदम  
हाजिरी व अदम पेशी में अन्तर्गत आई 9 R3  
जा. की के तहत खारिज किया जाता है।  
पत्रावली में प्रस्तुत प्रमाण पत्र का मत मुनामा  
अन्तर्गत 0-9, R-3 CPC के तहत खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फंसल अंसार होकर  
बंद निकाल दायित्व दे फार हो। निर्णय  
रुले न्यायालय में मुनामा दाखल है।

उपखण्ड अधिकारी  
गौधर लंक

